कार्यालय : मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, प्रतापगढ़, (राज.)

Telephone No. 01478-222464 :: E-mail I.D. : mact-pra-rj@hcraj.nic.in

क्रमांक :– स्थापना / 2021 / 122 दिनांक :– 17.05.2021

–:: **आदेश** ::–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र क्रमांक–8 / पी.आई. / 2021 / दिनांक 16.05.2021 के अनुसरण में परिवर्तित परिस्थितियों में कोरोना वायरण संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने एवं निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 18.05.2021 से दिनांक 24.05.2021 तक निम्न कार्य व्यवस्था अमल मे लाई जाती है।

01.– कोई भी अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरण / प्रार्थना पत्र जो इस अधिकरण से संबंधित है, उन्हें जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ पर इस अधिकरण के अधिकृत ई–मेल पता **mact-pra-rj@hcraj.nic.in** पर ही भेजे जायेंगे, जो इस शर्त के साथ स्वीकार किये जायेंगे कि जैसे ही नियमित रूप से न्यायालय कार्य चालु होता है, उस समय उस प्रकरण / प्रार्थना पत्र आदि की मूल प्रति पक्षकार / अधिवक्ता द्वारा इस अधिकरण में प्रस्तुत कर दिये जायेंगें। उपरोक्त अधिकृत ई–मेल पर भेजे जाने वाले अति आवश्यक प्रकरण / प्रार्थना पत्र आदि के साथ पक्षकार / अधिवक्ता के वह मोबाईल नम्बर जिसपर वॉट्स एप है, का विवरण तथा पक्षकार / अधिवक्ता का सम्पूर्ण पता व ई–मेल पता उसके साथ भेजा जायेगा और उसके बिना अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरण / प्रार्थना पत्र ग्रहण किये जाने योग्य नहीं होंगे।

02.– अति आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवायी विडियो कोन्फ्रेसिंग के द्वारा विडियों कॉल / वॉट्स एप / वाईस कॉल के माध्यम से ही की जायेगी।

03.– अति आवश्यक प्रकृति के मामलों एवं इस अधिकरण से संबंधित अन्य जानकारी निम्न दुरभाष / वाट्स एप नम्बर पर प्राप्त की जा सकेगी–

01. श्री प्रदीप शर्मा, रीडर– – 9783554596
02. श्री विनोद गवारिया , लिपिक ग्रेड द्वितीय – 9571672525
03. श्री भगवान सहाय गागर , लिपिक ग्रेड द्वितीय – 7742636265

उक्त अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथिया सुनिश्चित की जाती हैं। यदि किसी प्रकरण में स्थगन आदेश प्रभावी है तो यह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

वर्तमान नियत तिथि	आगामी नियत तिथि
18.05.2021	01.06.2021
19.05.2021	02.06.2021
20.05.2021	03.06.2021
21.05.2021	04.06.2021
22.05.2021	05.06.2021
24.05.2021	07.06.2021

परिवर्तित दिनांक शीघ्र ही सीआईएस पर अपडेट कर दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता हैं तो वह इस संबंध में करणों को अंकित करेगा तथा यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि प्रकरण वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

Sd –
न्यायाधीश
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक :– स्थापना / 2021 / 123-125 दिनांक :– 17.05.2021

प्रतिलिपि :–

1. अधिवक्ता संघ, को प्रेषित कर अनुरोध हे कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावें तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करें कि वें अपनें पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों की सूचना मोबाईल आदि से दे ताकि वे न्यायालय में आने से बचें और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहें।
2. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि आम सूचना न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
3. सूचना की प्रति अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगाई जावे।

17/5/2021
न्यायाधीश
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण
प्रतापगढ़ (राज.)